दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 26.03.2014

<u>वैव.अ. 53/2008 सि.वि.सं. 7643/2005</u>

राजेन्द्र कुमार ..... याचिकाकर्ता

के माध्यम से : नीमो।

बनाम

मंजू ..... प्रत्यर्थी

के माध्यम से : व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री नजमी वज़ीरी

<u>न्या. श्री नजमी वज़ीरी,</u> (मौखिक)

1. वर्तमान अपील हि.वि.अ.सं. 140/1998 में दिनांक 30.03.2005 के निर्णय को चुनौती देती है जिसके तहत विद्वान अति.जि.न्या. (अतिरिक्त जिला न्यायधीश), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ('अधिनियम') की धारा 13(1)(झ-क) के तहत अपीलकर्ता/पति की याचिका को खारिज कर दिया था।

2. दोनों पक्षों ने दिनांक 05.05.1992 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। उनके यहाँ सुरभि नाम की एक लड़की पैदा हुई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का व्यवहार उसके और उसके परिवार के

प्रति अच्छा नहीं था और वह ऐसी मांगें करती थी जो उसकी आर्थिक क्षमता से परे थीं; उसने और उसके परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और शारीरिक हिंसा की धमकी भी दी; उसने पति के माता-पिता से अलग रहने पर जोर दिया; और उसने उसे और उसके परिवार को झूठे दहेज मांग के मामलों में फंसाने की धमकी भी दी। याचिका में क्रूरता के विभिन्न मामलों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसलिए पति/याचिकाकर्ता ने क्रूरता के आधार पर अपने विवाह को समाप्त करने की प्रार्थना की।

3. पत्नी ने अपने लिखित बयान में सभी आरोपों से इनकार किया है। उसने दलील दी कि, वास्तव में, यह पति और उसका परिवार ही था जो उसके साथ क्रूरता करता था; उसने कभी अपने पति को नहीं छोड़ा; वास्तव में वह शारीरिक क्रूरता की शिकार हुई, यहां तक कि उसकी नाबालिग बेटी को भी उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों की हिंसा से नहीं बख्शा गया; शारीरिक हिंसा की सीमा इतनी गंभीर थी कि पत्नी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया, और इस भावनात्मक आघात व शारीरिक त्रासदी के दौरान भी, न तो पति और न ही उसके परिवार के सदस्य अस्पताल में उससे मिलने गए और न ही उसे सांत्वना देने के लिए आगे आए; पति ने प्रसव के लिए हुए किसी भी खर्च का भुगतान नहीं किया, न ही उसने पत्नी के परिवार को खर्च की प्रतिपूर्ति की पेशकश की। यह दलील दी गई कि पति और उसके परिवार ने पत्नी से दहेज की कई बार मांग की और

मांगी गई राशि न लाने पर उसके प्रति और अधिक हिंसा हुई। पत्नी के परिवार को उसे और अधिक परेशान होने से बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया कि पत्नी ने कभी भी पति से उसके परिवार से अलग रहने को कहा था या उसने ऐसी मांग पूरी की थी। यह प्रस्तुत किया गया कि सीएडब्लू सेल (महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ) को की गई शिकायत को इस आश्वासन के साथ निपटाया गया था कि पति और उसके परिवार के सदस्य दहेज के लिए कोई और मांग नहीं करेंगे और इसके बजाय वे वैवाहिक घर में पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी की देखभाल करेंगे। हालाँकि, कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ।

4. विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तय किये:

I. क्या प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता से व्यवहार किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है? सिद्ध करने का भार वादी पर

ii. राहत

विचारण न्यायालय ने पाया कि पति द्वारा शपथ लेकर दिए गए बयानों का पत्नी द्वारा सफलतापूर्वक खंडन किया गया। परिणामस्वरूप यह माना गया कि पति और उसके परिवार के प्रति कोई क्रूरता नहीं थी। इसके बजाय, यह पति ही था जो पत्नी के प्रति क्रूर था। विचारण

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पति और उसके परिवार द्वारा 50,000/- रुपये के दहेज की मांग की गई थी। यह बात सच पाई गई कि पत्नी केवल 30,000/- रुपये ही जुटा पाई। बैंक लेन-देन के रिकॉर्ड से पता चला कि पत्नी के पिता ने 30,000 रुपये की राशि निकाल ली थी और मांगी गई पूरी दहेज राशि का भुगतान करने की पूरी कोशिश की थी।

5. यह पाते हुए कि पति, पत्नी के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप को साबित करने में असमर्थ रहा है तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि पत्नी ने यह साबित करने का भार पूरा कर दिया है कि उसके प्रति क्रूरता हुई है, विचारण न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

6. इस न्यायालय ने पाया कि यह अपील वर्ष 2005 से लंबित है और यह अब अट्ठाईसवीं बार सूचीबद्ध है। अपीलकर्ता दिनांक 27.11.2012 से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। पिछली छह सुनवाईयों और पिछली सात सुनवाईयों में भी अपीलकर्ता लगातार उपस्थित नहीं हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि जब मामला सूचीबद्ध था, तब से 65% से अधिक समय तक अपीलकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। यह वास्तव में मामले के प्रति अपीलकर्ता के उदासीन दृष्टिकोण और इसे आगे बढ़ाने में गैर-गंभीरता को दर्शाता है। अपीलकर्ता के मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा लिखित सारांश रिकॉर्ड

पर होने के कारण अपील के गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए इसे ध्यान में रखा जाता है।

7. अपीलकर्ता ने **दास्ताने बनाम दास्ताने एआईआर 1975 एससी 1534** में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि क्रूरता के कृत्य केवल जीवन, अंग या स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रतिष्ठा से भी जुड़े हैं। अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि पत्नी को न्यायालय के समक्ष यह साबित करना आवश्यक है कि पति के साथ सहवास करते समय उसे शारीरिक और मानसिक खतरे की उचित आशंका थी; कि एकाकी घटनाएं या दूसरे पति के प्रति कभी-कभार भड़क जाना यह तय करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता कि क्या क्रूरता की घटनाएं हुई थीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को पति के प्रति समग्र व्यवहार के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। इस तर्क को मजबूत करने के लिए, अपीलकर्ता ने **जी.वी.एन. कामेश्वर राव बनाम जी. जब्बिली (2002) 2 एससीसी 296** के फैसले पर भरोसा किया है। पति का यह भी कहना था कि उसकी पत्नी अक्सर उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा करती रहती थी; उसे अक्सर डर रहता था कि अगर वह उसकी मांगें पूरी नहीं करेगा तो पत्नी उसे झूठे मामलों में फंसा देगी। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा उनके प्रति की गई क्रूरताओं की सूची दी थी, जिस पर, यह कहा गया है, कि विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया।

8. लिखित दलीलों में आगे यह भी कहा गया है कि विचारण ने पति द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों पर विचार नहीं किया, बल्कि याचिका को खारिज करते समय केवल पत्नी और उसके पिता की गवाही को ही ध्यान में रखा। पुलिस को दी गई शिकायतों पर भरोसा किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसे आत्महत्या करने की धमकियां दी गई थीं; तथा पत्नी को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें उसे पति के साथ रहने के लिए कहा गया था, तथा दिनांक 28.04.1997 को उनके बीच समझौता हो गया था।

9. इस न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ता/पति क्रूरता के विशिष्ट उदाहरण दिखाने या प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है। क्रूरता के आरोप को साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पक्ष पर है। इसलिए अपीलकर्ता को ऐसे सभी दस्तावेज और गवाह लाने की आवश्यकता थी जो क्रूरता के आरोपों को साबित कर सकें। केवल आरोप और निराधार कथन क्रूरता का मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस न्यायालय ने पाया कि जहां तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रश्न है, विद्वान विचारण न्यायालय ने वास्तव में उन पर उचित ध्यान दिया है। वास्तव में, आक्षेपित आदेश में यह दर्ज किया गया है कि पत्नी को पति के साथ रहने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया था और उसका जवाब था कि सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन का वादा पति की दहेज मांगों और धमकियों

के कारण भंग हो गया था; इसलिए उसने धमकियों से बचने के लिए पति के साथ नहीं रहने का फैसला किया। इस न्यायालय का मानना है कि विचारण न्यायलय ने याचिका खारिज करने से पहले सभी दस्तावेजों और संपूर्ण परिस्थितियों को रिकॉर्ड में ले लिया है।

10. लिखित सारांश में आगे आरोप लगाया गया है कि विचारण न्यायलय ने पति के प्रति क्रूरता के विभिन्न उदाहरणों पर विचार नहीं किया है, जिसके कारण वह तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहा है। हालांकि, इस न्यायालय का मानना है कि आक्षेपित आदेश में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया है। बेशक, पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। क्रूरता साबित करने का भार उस पर था। वह इसे साबित करने में विफल रहा। इसलिए उसकी याचिका खारिज कर दी गई। इस न्यायालय ने **रेणु बाला बनाम जगदीप चिल्लर (2010)171 डीएलटी 314** में अभिनिर्धारित किया गया कि क्रूरता या परित्याग के आधार पर मांगे गए तलाक में तथ्यों को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जाना चाहिए, और सिविल कार्यवाही की तरह यह पर्याप्त होगा यदि ऐसे तथ्य संभावनाओं की अधिकता से साबित हो जाएं। उक्त निर्णय में कहा गया है कि वैवाहिक मामलों और सिविल कार्यवाहियों में न्यायालयों को सामान्य मानवीय आचरण और प्रचलित तथ्य-स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सुबोध

निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, भले ही पक्षकारों द्वारा इसे विशेष रूप से प्रस्तुत या सिद्ध न किया गया हो। चूंकि स्थिति पहले ही तय हो चुकी थी, इसलिए पति को ऐसे सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे यह संदेह से परे स्थापित हो सके कि पत्नी उसके साथ क्रूरता से पेश आ रही थी। हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि पति यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है कि क्रूरता की कोई घटना घटित हुई थी। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पत्रों, दस्तावेजों से केवल यह पता चलता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था।

11. दहेज के रूप में दी गई राशि की निकासी को दर्शाने वाले बैंक लेन-देन, पति के कानूनी नोटिस के जवाब में पत्नी द्वारा किया गया पत्राचार तथा पत्नी के पिता द्वारा पति को लिखा गया पत्र, जिसमें उसने वैवाहिक घर में अपनी बेटी की सुरक्षा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है, केवल पत्नी द्वारा की गई दलीलों की सत्यता को साबित करते हैं।

12. यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता है। याचिका बिना किसी योग्यता के है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

न्या. नजमी वज़ीरी

मार्च 26,2014/डी/एसीएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*